

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 02/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
इण्डिया शेल्टर फाईनन्स कारपोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय छठम तल, प्लॉट नं. 15, इंडस्ट्रियल एरिया
सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- 1 श्रीमती आरती देवी,
- 2 श्री अमित कुमार,
- 3 श्री प्रकाश चंद सोगानी,

पता:- प्लॉट नं. 27, वाटिका जय सागर विहार ए, सीमलिया रोड़, ग्राम वाटिका, बगरू, सांगानेर,
जयपुर।

अन्य पता:- प्लॉट नं. ए-27, जय सागर विहार ए, जैन मंदिर के पास, सीमलिया रोड़, वाटिका, तहसील
सांगानेर, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

परिस्थित :- रीना वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु
जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अमित जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-27, आवासीय
योजना जय सागर विहार ए, सीमलिया रोड़, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर, कुल क्षेत्रफल
175.70 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 09.09.2021 एवं दिनांक 30.09.2021 को कुल राशि
17,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था
को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को
दिनांक 13.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय
ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आव यक पुलिस
इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर
से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि
17,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त
वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित


जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर




होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 16,90,186/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री अमित जैन के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-27, आवासीय योजना जय सागर विहार ए, सीमलिया रोड़, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 175.70 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द कर आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
आज दिनांक 21.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर